फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 130 प्रभात जयपुर, बुधवार 11 दिसम्बर, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

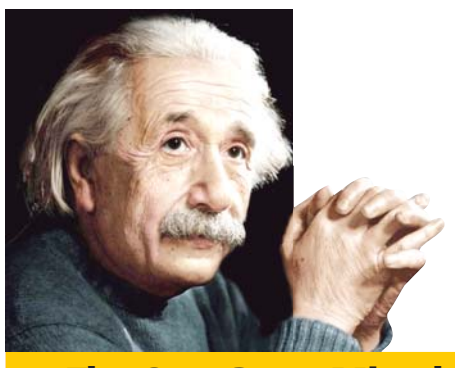

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

The One Great Mistake in Einstein's Life

"When a real and final catastrophe should befall us in Palestine, the first responsible would be the British and the second, the Terrorist organizations build up from our own ranks."- Einstein

Working Class Life in Ancient Rome

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का दीप जलाकर शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा, 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के परिणाम से रोक हटाई

जयपुर, 10 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में संशोधित परिणाम जारी करने पर लगी अपनी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने कहा कि पूर्व में नियुक्त हो चुके शिक्षक संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश सरिता कुमारी व कन्हैयालाल

- **अदालत ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिये। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्त हो चुके शिक्षक संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे।**

सहित अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। खंडपीठ ने गत 14 नवंबर को विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से जांच कर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश पर रोक लगा दी थी।

अपील में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि एकलपीठ ने 6 दिसंबर, 2023 को भर्ती में कुछ विवादित प्रश्नों से जुड़ी याचिका पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यादव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

यादव को यह नोटिस मुसलमानों के खिलाफ दिए गए विद्वेषपूर्ण भाषण के लिए दिया गया है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। मुसलमानों को निशाना बनाने वाला भाषण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर कुमार यादव के विरुद्ध क्या एक्शन ले सकता है?

"यूनिफॉर्म सिविल कोड: अ कॉन्स्ट्यूशनल नैससिटी" विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए यादव ने जोर देकर कहा था कि, भारत में देश बहुसंख्यकों की इच्छानुसार चलेगा।

विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस यादव ने कहा कि "राम लला को स्वतंत्र देखने के लिए और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत "त्याग" किए हैं। जस्टिस यादव ने अपने भाषण में "कठमुल्ला" शब्द का उपयोग भी किया और कहा कि मुस्लिम बच्चों से दया और सहिष्णुता दिखाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि, वो बहुत कम उम्र से जानवरों को कटते देखते है।

इस सम्बंध में मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को न्यायमूर्ति यादव को नोटिस

- **जस्टिस यादव ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा युनिफॉर्म सिविल कोड पर आयोजित कार्यक्रम में जमकर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली बयान बाजी की थी।**
- **"कैम्पेन फॉर जुडीशियल अकाउन्टबिलिटी एण्ड जुडीशियल रिफॉर्म्स" ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख कर शिकायत की थी।**
- **विशेषज्ञों ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सार्वजनिक या निजी जीवन में ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार, जस्टिस यादव अपने भाषण में "रैड लाइन" पार कर गए।**

जारी कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि क्या उन्होंने "द्वेषपूर्ण भाषण" देकर संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 तथा 26 का उल्लंघन किया है।

यह मामला "कैम्पेन फॉर जुडिशियल अकाउन्टेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स" (सी.जे.ए.आर.) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर उठाया था। पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति यादव द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रयुक्त भाषा तथा भाषण की विषय वस्तु न्यायिक अनौचित्य (जुडिशियल इम्प्रॉपराइटी) के बराबर है। विश्लेषकों तथा विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी भी जज को सार्वजनिक तथा निजी रुप से ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिये जो इस अवधारणा की विश्वसनीयता का क्षरण करे कि न्याय केवल किया ही नहीं जाये, किया जाता हुआ दिखाई भी देना चाहिये।

विश्लेषकों का यह भी मानना है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये

हर जिले में प्रवासी परिवार की किसी भी समस्या के लिये सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनेगा

जयपुर, 10 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइज़िंग राजस्थान समिट के तहत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव में कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाएगा। साथ ही, 10 दिसंबर को हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।"

- **प्रवासी राजस्थानी कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने तथा विशेष विभाग सृजित करने की घोषणा की।**
- **अनेक देशों और प्रदेशों से आये प्रवासी राजस्थानियों ने राज्य के विकास में भागीदार बनने की इच्छा जतायी।**

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का निर्णय लिया है। प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों को किसी तरह की समस्या आती है, तो इसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान में अपार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश

इंडिया गठबंधन ने संविधान के आर्टिकल 67 (बी) के तहत प्रस्ताव पेश किया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। मोदी के शासनकाल में संवैधानिक प्रमुखों की भूमिका को उजागर करने की कोशिश के अन्तर्गत, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने आज उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि वे राज्यसभा का संचालन करते समय पक्षपात से काम लेते हैं।

राज्य सभा के महासचिव को पेश किये गये इस प्रस्ताव पर पूरे इंडिया ब्लॉक के 16 विपक्षी दलों के हस्ताक्षर हैं।

कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत ड्राफ्ट किया गया है, हस्ताक्षरित किया गया है तथा पेश किया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिस पर लोकसभा के सामान्य बहुमत की सहमति हो, द्वारा हटाया जा सकता है।

- **यह आर्टिकल कहता है कि राज्यसभा में बहुमत और लोकसभा की सहमति से राज्यसभा के सभापति, अर्थात् उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।**
- **पर इसमें एक पेंच है, कि नियमानुसार ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस अनिवार्य होता, पर राज्यसभा के सिर्फ 8 कार्यदिवस ही बचे हैं।**
- **असल में विपक्ष भी यह बात जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा, पर विपक्ष का लक्ष्य इसे एक राजनैतिक मुद्दा बनाने का है।**

उपसभापति को दिये गये इस प्रकार के प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरुरी हैं।

लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। नियमों के अन्तर्गत, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिये प्रस्ताव पेश करने के लिये 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

जहाँ, इस प्रकार का प्रस्ताव लाने के लिये 14 दिन का नोटिस जरुरी है, वहीं, 20 दिसम्बर को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र में केवल 8 कार्य दिवस बचे हैं।

चूँकि इससे पहले आजतक उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की कोई नजीर नहीं है, इसलिये 14 दिन के नोटिस का प्रश्न व्याख्या के लिये खुला हुआ है तथा सम्बंधित निर्णय उपसभापति को ही लेना है, जो विपक्ष के इस प्रस्ताव पर अपना फैसला देंगे।

विपक्ष के सूत्रों का कहना है कि नोटिस इस तकनीकी आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि शीतकालीन सत्र 14 दिन नहीं चलना है, लेकिन यह दलील दी जा चुकी है कि अगले सत्र की गणना की जा सकती है तथा प्रस्ताव बाद में लिया जा सकता है।

धनखड़ के खिलाफ इसी प्रकार के कदम की योजना अगस्त में भी बनी थी, लेकिन वह क्रियान्वित नहीं हो सकी थी।

इस समय, हाल ही में हुये उपचुनावों के बाद, राज्यसभा में कुल 234 सांसद हैं। भाजपा के 96 सांसद तथा सत्तारुढ़ एन.डी.ए. के 112 सांसद हैं। 6 मनोनीत सांसद है, जो मतदान की स्थिति में सरकार के साथ होंगे तथा इस प्रकार, एन.डी.ए. का संख्याबल 118 हो जायेगा तथा 116 के सामान्य बहुमत से 2 अधिक है।

राज्यसभा में कांग्रेस के 27 तथा समूचे विपक्ष के 85 सांसद हैं।

इस प्रकार, विपक्ष के पास उपराष्ट्रपति विरोधी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिये यथेष्ट संख्याबल नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे एक राजनैतिक मुद्दा बनाना चाहता है, क्योंकि धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के नेता जे.पी. नड्डा को, जॉर्ज सोरोस के साथ कथित सम्बंधों को लेकर, कांग्रेस पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ के "डिफैन्स" में रिजीजू को उतारा केन्द्र सरकार ने

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। जैसा कि अपेक्षित था, मोदी-शाह द्वय ने आज, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ पर इण्डिया ब्लॉक द्वारा लगाए गए पक्षपात के आरोपों को डिफैन्ड करने के लिए संसदीय मंत्री किरण रिजीजू को मैदान में उतारा। इंडिया ब्लॉक ने एक नोटिस देकर उपराष्ट्रपति को हटाने की मांग की है।

विपक्ष के इस कदम को "अति खेदजनक" बताते हुए, रिजीजू ने, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा चैयरमैन भी हैं, की प्रशंसा की और कहा कि वे अत्यधिक प्रोफेशनल एवं निष्पक्ष व्यक्ति हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए, रिजीजू ने यह कहते हुए विपक्ष की आलोचना की कि वो राज्यसभा में और लोकसभा में आमजन का अनादर करते हैं। ए.एन.आई. के अनुसार रिजीजू ने कहा, "विपक्ष, आमजन की गरिमा का अनादर करता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा - - - कांग्रेस पार्टी तथा उनका गठबंधन ने आमजन के निर्देशों को नहीं मानकर लगातार अनुचित व्यवहार किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी सादा पृष्ठभूमि के हैं। वो हमेशा संसद में तथा संसद के बाहर किसानों तथा लोगों के कल्याण की बात करते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उनका आदर करते हैं।"

संसदीय मामलात मंत्री ने कहा, "नोटिस दिया गया है मैं उन 60 सांसदों के कदम की निंदा करता हूं जिन्होंने

- **रिजीजू ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले विपक्षी सदस्यों की निंदा की और कहा, विपक्ष ने राज्यसभा व सभापति की गरिमा का अनादर किया है।**
- **रिजीजू ने कहा, साधारण पृष्ठभूमि से आए धनखड़ बेहद प्रोफैशनल एवं निष्पक्ष हैं, हम राज्यसभा में उनके काम से बेहद खुश हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट बार चुनाव में एक दर्जन महिला अधिवक्ता मैदान में

जयपुर, 10 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की करीब 230 बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल बार एसोसिएशन में चुनाव प्रक्रिया चल रही है और प्रत्याशी

- **इस बार अन्य पदों के साथ अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर महिला अधिवक्ता चुनाव लड़ रही हैं।**

वकीलों से अपने पक्ष में मत देने की गुहार कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। इस बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल-प्रियंका से मिले संभल के पीड़ित

नयी दिल्ली, 10 दिसम्बर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को यहां उत्तर प्रदेश के संभल के पीड़ितों के साथ मुलाकात की।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, यह मुलाकात कांग्रेस संसदीय दल की नेता

- **यह मुलाकात सोनिया गांधी के आवास दस, जनपथ पर हुई।**

सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में आयोजित की गई थी। बताया गया है कि बैठक में गांधी तथा वाड्रा के साथ पीड़ितों ने अपनी पीड़ा साझा की है और यह भी बताया कि हिंसा के दौरान उनकी क्या स्थिति थी।

संभल में हिंसा के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें कहा गया है कि इसमें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आर.बी.आई. के नए गवर्नर सरकार की बात मानकर ब्याज दर में कटौती करेंगे

चर्चा है कि आर.बी.आई. गवर्नर पर वित्त मंत्रालय का भारी दबाव है, ब्याज दर में कटौती के लिए

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। रिज़र्व बैंक के नए गवर्नर ने पद संभाल लिया है और चर्चा है कि वे ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। चर्चा है कि वित्त मंत्रालय से ग्रोथ समर्थन देने के लिए रेट कट का भारी दबाव है।

विशेषज्ञों में चर्चा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक में ब्याज दर में कटौती की संभावना है, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि मध्यम दर्जे की लगभग 20-30 प्रतिशत तक। आर.बी. आई. की एम. पी. सी. की अगली बैठक 5 से 7 फरवरी को होगी। बैठक की समाप्ति पर ब्याज दर में कटौती और उससे मौद्रिक नीति के फैसले किए जाएंगे।

हालांकि नोमूरा सिक्यूरिटीज़ (एक फर्म) ने भरोसा जताया कि आर. बी. आई. जल्दी ही ब्याज दर में कटौती करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो रही है और इन्फ्लेशन भी नरम है। फर्म का कहना है कि आने वाले वर्ष के मध्य तक ब्याज दर में 100 बेसिस पॉइन्ट (एक प्रतिशत) तक कटौती हो सकती है। इससे वर्ष के मध्य तक टैपोरेट 5.50 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। कई कारक है जो रेट कट का समर्थन कर रहे हैं। भारत की जी.डी.पी. ग्रोथ धीमी हो गई है। नोमुरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 के ग्रोथ 6.7 प्रतिशत रहेगी जो कि पूर्व के अनुमानों से कम है। निजी क्षेत्र की कमजोर मांग और धीमी क्रेडिट ग्रोथ से आर.बी.आई. को उदार रूख अपनाना पड़ सकता है।

हालांकि इन्फ्लेशन ने हाल ही में आर.बी.आई. की उच्चतर सीमा 6 प्रतिशत को भी पार कर लिया, कोर इन्फ्लेशन अभी भी नरम है। फूड इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारक है में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। कई केन्द्रीय बैंक जिनमें अमेरिका का फैडरल रिज़र्व भी शामिल है ब्याज दर में वृद्धि को खत्म करने का संकेत दे रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय रुझान आर.बी.आई. को भी प्रभावित कर सकता है।

जो विशेषज्ञ आशावादी नहीं है, उनका कहना है कि यद्यपि खाद्य पदार्थों के दाम स्थिर हैं, पर आर.बी.आई. इन्फ्लेशन को इसके 4 प्रतिशत के टारगैट का लक्ष्य पाने तक इंतजार कर सकता है। वे कहते हैं कि रेट कट से भारतीय रुपया और कमजोर होगा और पूंजी बाहर जाने और आयात महंगा होने की संभावना बढ़ जाएगी।

अधिकांश विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि आर.बी.आई. अभी सतर्कता बरतेगा। नोमूरर कि विश्लेषकों का सुझाव है कि केन्द्रीय बैंक देर सवेर अपने फोकर ग्रोथ को स्थिर करने पर केन्द्रित कर सकता है। नोमूरर के अर्थशास्त्री कहते हैं कि, हमें यकीन है कि भारतीय मौद्रिक नीति चक्र में एक परिवर्तन आने ही वाला है जो काफी महत्वपूर्ण होगा।

शुक्रवार को जारी डेटा बताते हैं कि भारत की जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट 6.7 प्रतिशत के अनुमान से कम है। राष्ट्रीय चुनावों में खर्च से जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट घटी है।

इस डेटा के आधार पर नोमुरा ने

- **5 से 7 फरवरी को होने वाली, आर.बी.आई. की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दर में कटौती की घोषणा होने की संभावना है।**
- **विशेषज्ञों ने 2025 के मध्य तक 100 बेसिस पॉइन्ट कटौती की भविष्यवाणी की है, जिससे रैपो रेट घट कर 5.5 प्रतिशत रह जाएगी।**
- **विशेषज्ञ कई कारणों से रेट कट का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख है, जी.डी.पी. की ग्रोथ रेट में कमी आना, और इनफ्लेशन का आर.बी.आई. की उच्चतर सीमा को पार कर देना।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने मेक माई ट्रिप पर 61 हजार रु. का हर्जाना लगाया

जयपुर, 10 दिसंबर। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने बुकिंग राशि लेने के बावजूद, होटल में नहीं रुकवाने को गंभीर सेवा दोष करार देते हुए बुकिंग एजेंसी मेक माई ट्रिप इंडिया प्रा.लि. पर 61 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं, जमा करवाई गई

- **परिवादी ने मेक माई ट्रिप से होटल ली मेरिडियन में कमरे बुक कराये। होटल पहुंचने पर होटल प्रबन्धन ने बुकिंग से इंकार किया।**

बुकिंग राशि 46,774 रुपए भी 6 दिसंबर 2019 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने ये आदेश विवेक अग्रवाल के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा कि उसने अपनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)